प्रेस नोट
दिनांक 20.07.2026

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का कुछ ही घण्टों में सफल अनावरण, 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, भारी मात्रा में सोने/चांदी के आभूषण (पीली एवं सफेद धातु) व 50,000 रू0 नकद बरामद–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–178/26, धारा 305(ए),331(4) बीएनएस से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 आरोपी अभियुक्तगण– 01. विकास कसौधन, 02. पूनम कसौधन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के भारी मात्रा में सोने/चांदी के आभूषण व 50,000 रू0 नकद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी लवकुश पुत्र रामबचन, निवासी ग्राम विशुनापुर बाजार, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 19.07.2026 की रात्रि अज्ञात चोर उसके घर में घुस आए तथा कमरे में रखे तीन बक्सों के ताले तोड़कर उनमें रखे सोने–चाँदी के आभूषण चोरी कर ले गए। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में पुलिस टीमो का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। पुलिस टीम ने घटना से संबंधित साक्ष्य एकत्रित करते हुए परिवार के सदस्यों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों से गहन पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस टीम को वादी की पत्नी पूनम कसौधन की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुईं। महिला आरक्षी द्वारा अलग से पूछताछ किए जाने पर उसने अपने रिश्तेदार विकास कसौधन के साथ मिलकर पूर्व नियोजित योजना के तहत अपने ही घर से आभूषण, नगदी एवं मोबाइल फोन चोरी कराए जाने की बात स्वीकार कर ली। अभियुक्ता की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त विकास कसौधन को उसके घर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के भारी मात्रा में सोने/चांदी के आभूषण व 50,000 रू0 नकद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्ता पूनम कसौधन से गहनता से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उसकी मौसी का लड़का विकास कसौधन पुत्र जमुना, निवासी विशुनापुर, वादी के घर आता–जाता था। इसी दौरान पूनम कसौधन एवं विकास कसौधन के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गए। दोनों ने साथ भाग जाने की योजना बनाई, जिसके लिए धन की आवश्यकता होने पर विकास कसौधन ने घर में रखे आभूषण एवं नगदी चोरी करने की योजना बनाई। योजनानुसार दिनांक 19/20.07.2026 की रात्रि में पूनम कसौधन ने मोबाइल फोन के माध्यम से विकास कसौधन को अपने घर बुलाया। इसके बाद दोनों ने मिलकर घर में रखे संदूक का ताला तोड़ा तथा बक्से का ताला खोलकर उसमें रखे सोने–चांदी के आभूषण, नगदी रुपये एवं मोबाइल फोन विकास कसौधन को दे दिए, जिसे वह अपने साथ लेकर वहां से चला गया। घटना को वास्तविक चोरी का रूप देने के उद्देश्य से पूनम कसौधन ने स्वयं कमरे में रखे बक्से एवं आलमारी का सामान अस्त–व्यस्त कर बिखेर दिया तथा बेहोश होने का नाटक करते हुए अपने बेड के नीचे जाकर लेट गई। अगले दिन सुबह उसने अपने परिजनों से झूठी कहानी बताते हुए कहा कि रात्रि में 9–10 अज्ञात

चोर घर में घुस आए थे, जिन्होंने सोने–चांदी के आभूषण, नगदी रुपये एवं अन्य सामान चोरी कर लिया तथा उसके साथ मारपीट कर उसे बेहोश कर दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. विकास कसौधन पुत्र जमुना प्रसाद कसौधन, निवासी विशुनापुर, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।
02. पूनम कसौधन पत्नी लवकुश कसौधन, निवासी विशुनापुर बाजार, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–178/26, धारा 305(ए),331(4),317(2) बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. पीली धातु के आभूषण

01. 02 अदद अंगूठी
02. 01 अदद झुमकी
03. 02 अदद झाला
04. 01 जोड़ी कान के टप्स
05. 01 अदद कान की बाली
06. 01 अदद कान की नथुनी

कुल वजन दृ 19.610 ग्राम

सफेद धातु के आभूषण

07. 21 अदद बिछिया
08. 01 अदद की अंगूठी
09. 05 अदद पायल
10. 03 अदद के सिक्के
11. 01 अदद का नोट
12. 06 अदद पैर के लच्छे
13. 01 जोड़ी के पायजेब
14. 01 अदद की कमरबंद
15. 01 अदद की मछली
16. 01 अदद की प्लेट
17. 05 अदद की सुपारी
18. कुछ टूटे हुए के आभूषण

कुल वजन– 1.585 किलोग्राम

19. ₹50,000/– नगद (₹100 के 500 नोट)
20. 02 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन(टेक्नो मोबाइल, वीवो मोबाइल)

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 गोबिन्द कुमार थाना खरगूपुर।
02. उ0नि0 डोरीलाल गंगवार।
03. का0 भूपेन्द्र प्रताप यादव।
04. का0 सुजीत कुमार।
05. का0 अमन सिंह।
06. म0का0 सताक्षी शुक्ला।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 20.07.2026

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा गैर–इरादतन हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–502/2026, धारा 115(2),105 बीएनएस एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त कल्लू उर्फ श्रीचन्द यादव पुत्र महादेव यादव, निवासी ग्राम सालपुर सेमरा, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 29.05.2026 को वादी सुनील कुमार (कोरी) पुत्र स्व0 बालगोविन्द निवासी ग्राम सालपुर सेमरा द्वारा थाना को0 देहात में लिखित तहरीर दी गयी कि खेत में सिंचाई के दौरान उनके पिता बालगोविन्द एवं कल्लू उर्फ श्रीचन्द यादव के बीच विवाद एवं मारपीट हुई थी, जिसमें मेरे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार हेतु जिला चिकित्सालय ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 20.07.2026 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा घटना कारित करने के आरोपी अभियुक्त कल्लू उर्फ श्रीचन्द यादव पुत्र महादेव यादव, निवासी ग्राम सालपुर सेमरा, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. कल्लू उर्फ श्रीचन्द यादव पुत्र महादेव यादव, निवासी ग्राम सालपुर सेमरा, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–502/2026, धारा 115(2),105 बीएनएस एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 विनय कुमार सिंह
02. कां0 बृजेश यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।